10.10.19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा वादी बलजिन्द्र सिंह के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किये शामिल पत्रावली किये जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उ
पीठासीन अधिकारी
राजस्व वाद संख्या
बलजिन्द्रसि
तहसील व
1 नक्षत्र सिंह
तहसील व
2 कुलविन्द्र
तहसील व
3 डी.सी.बी. बै
दा
1. श्री सुरेन्द्र
2. श्री अमरिका

वादी द्वारा
इस न्यायालय में प्र
संख्या 1 के नाम
नाली प्रथम मय गैर
नाली प्रथम व चक
नाली प्रथम भूमि द
संख्या 76/82 सम
2073-76 चक 51 ए
अर्जीदावा की
भूमि थी जो उनके
संख्या 1 नक्षत्र सिंह
मुझ वादी व प्रतिवादी
विभक्त हो चुका है
आपस मे घरू बंटवा
समझौता मुझ वादी
संख्या 76/82 मे प्र
गैरमुमकिन प्राप्त
जी.सी. खाता संख्या
51 एन जी.सी. खात
गैरमुमकिन नाली प्रथ
वादी अपने घरू बंट
रोक टोक के काश्त
नाम अंकित होने

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 225/2019

बलजिन्दसिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 नक्षत्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 डी.सी.बी. बैंक शाखा सतीपुरा तहसील हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2

दिनांक :– 10.10.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन व चक 50 एन.जी.सी. के खाता संख्या 83/80 मे 0.506 हैक्टर नाली प्रथम व चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 सम्वत 2075–2078 व चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 सम्वत् 2073–76 चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 सम्वत 2973–76 हमराह पेश है।

अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि पूर्व मे मुझ वादी के दादा स्व. मलकीत सिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारीवारिक समझौता मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह को वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह के नाम दर्ज कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन प्राप्त हुई है व मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाके चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर व वाके चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम मे बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह के नाम दर्ज कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन बहिस्सा

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

बराबर के व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाके चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर के व वाके चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम मे प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे से प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह का नाम कलमजन किया जाये।

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम चक ज्वालासिहवाला मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचितकोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह के नाम दर्ज कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर के व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाके चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर के व वाके चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम मे प्रत्येक 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे से प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.09.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त प्रकरण मे पंचायत के मौजिज व्यक्तियो ने हमारा राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन व चक 50 एन.जी.सी. के खाता संख्या 83/80 मे 0.506 हैक्टर नाली प्रथम व चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. मलकीत सिह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारीवारिक समझौता) कर लिया है। मुताबिक घरू बंटवारा पारीवारिक समझौता वादी व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह को वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह के नाम दर्ज कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन प्राप्त हुई है व मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाके चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर व वाके चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.984 हैक्टर मय

लगातार 3

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

गैरमुमकिन नाली प्रथम मे बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहा है। मुताबिक राजीनामा वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी अर्जा कुलविन्द्र सिंह को वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिंह के नाम दर्ज कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन बहिस्सा बराबर को व वादी व प्रतिवादी 1 व 2 को वाके चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टर का व वाके चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 4.984 हैक्टर मय गैर मुमकिन नाली प्रथम में प्रत्येक 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 मे से प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्र सिह का नाम कलमजन किया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति एतराज नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से साक्ष्य वादी लिये जाकर बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार होनें के कारण वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 4

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 की कुल कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"नक्षत्रसिंह पुत्र मलकित जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह"** वाला को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह पुत्रान नक्षत्रसिंह साकिन चक ज्वालासिंह"** वाला को बहिस्सा बराबर का खातेदार ~~कास्तकार~~ काश्तकार ही घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 की 0.506 हैक्टर भूमि तथा चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 की 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम में वर्तमान प्रविष्टि **"नक्षत्रसिंह पुत्र मलकित जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह"** वाला को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिंह पुत्र मलकित जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह,** वाला **वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह पुत्रान नक्षत्रसिंह साकिन चक ज्वालासिंह"** वाला को बहिस्सा बराबर का खातेदार ~~कास्तकार~~ काश्तकार ही घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 225/2019

1 बलजिन्द्रसिंह पत्र श्री नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान – – वादी

–:: बनाम ::–

1 नक्षत्र सिह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 कुलविन्द्र सिह पुत्र श्री नक्षत्र सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 डी.सी.बी. बैंक शाखा सतीपुरा तहसील हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय दिनांक :– 10.10.2019

वादी की और से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 10.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 76/82 की कुल कुल 3.039 हैक्टर नाली प्रथम मय गैरमुमकिन भूमि में वर्तमान प्रविष्टि **"नक्षत्रसिंह पुत्र मलकीत जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह पुत्रान नक्षत्रसिंह साकिन चक ज्वालासिंह"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार ~~कास्तकार~~ काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार चक 50 एन.जी.सी. खाता संख्या 83/80 की 0.506 हैक्टर भूमि तथा चक 51 एन.जी.सी. खाता संख्या 74/67 की 4.984 हैक्टर मय गैरमुमकिन नाली प्रथम में वर्तमान प्रविष्टि **"नक्षत्रसिंह पुत्र मलकित जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर **"प्रतिवादी संख्या 1 नक्षत्रसिंह पुत्र मलकीत जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह, वादी बलजिन्द्र सिह व प्रतिवादी संख्या 2 कुलविन्द्र सिह पुत्रान नक्षत्रसिंह साकिन चक ज्वालासिंह"** को बहिस्सा बराबर का खातेदार ~~कास्तकार~~ काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.12.26 13:32:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: